UPUN120000871998

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।

उपस्थितः– हिमानी गौतम (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

जे०ओ० कोड० यू०पी० 4850

मुकदमा सं०ः– 1046/1998

अपराध सं०ः– 254/1998

सरकार

.....अभियोजन पक्ष

बनाम

1. अनन्त प्रसाद आयु 65 वर्ष पुत्र मेड़ीलाल
2. शिव प्रसाद आयु 57 वर्ष पुत्र मेड़ीलाल

समस्त निवासीगण ग्राम बख्तखेड़ा, अन्तर्गत थाना मौरावां जिला उन्नाव।

..... अभियुक्तगण पक्ष।

धाराः– 323, 325, 504 भा०दं०सं०।

थानाः– मौरावाँ, जिलाः– उन्नाव।

निर्णय

अभियुक्तगण अनन्त प्रसाद तथा शिव प्रसाद के विरूद्ध थाना मौरावाँ जिला उन्नाव, की पुलिस ने आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 323, 325, 504 भा०दं०सं० के अपराध के विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया है।

वादी मुकदमा की तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि "दिनांक 30/08/1998 को प्रार्थी व उसके पिता को गांव के ही अनन्त प्रसाद तथा शिव प्रसाद, छोटे व राम अघार ने बहुत बुरी तरह मारा पीटा है, जिससे प्रार्थी का कंधे पर से हाथ टूट गया है तथा पिता जी को भी चोटें आयी है।"

वादी मुकदमा की तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित थाना मौरावाँ जिला उन्नाव में दिनांक 30/08/1998 को धारा 323, 504 भा०दं०सं० के अन्तर्गत मामला एन०सी०आर० में दर्ज हुआ, जिसमें दौरान विवेचना धारा 325 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी पाये जाने पर उसे मु०अ०सं० 254/1998 में तरमीम किया गया, जिसका इन्द्राज जी०डी० में किया गया। मामले की विवेचना की गई। विवेचक ने साक्षीगण के बयान अंकित किये। मौके का नक्शा नजरी तैयार किया। बाद विवेचना अभियुक्तगण अनन्त प्रसाद तथा शिव प्रसाद के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर विवेचक द्वारा धारा 323, 325, 504 भा०दं०सं० में विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेते हुये न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय हाजिर आये, उनके द्वारा अपनी–अपनी जमानतें करवायी गयी। अभियुक्तगण को नकले दी गयी।

अभियुक्तगण अनन्त प्रसाद तथा शिव प्रसाद के विरूद्ध दिनांक 15/03/2001 को आरोप विरचित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया एवं विचारण की माँग किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित करने हेतु मौखिक साक्षी के रूप में पी०डब्लू०–01 राजबहादुर व पी०डब्लू०–02 के रूप में रामसजीवन तथा पी०डब्लू०–03 के रूप में गया प्रसाद को परीक्षित कराया गया है। अभिलेखीय साक्ष्य में आरोप पत्र, तहरीरी रिपोर्ट, एन०सी०आर० रिपोर्ट, नक्शानजरी, चिकित्सीय प्रपत्र तथा आरोप पत्र पत्रावली पर दाखिल की गई है।

अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया तथा प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार किया है।

मैने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

वर्तमान दाण्डिक प्रकरण में अभियुक्तगण अनन्त प्रसाद तथा शिव प्रसाद के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 30/08/1998 को समय 06.00 बजे बहद स्थान बरवतखेड़ा, थाना मौरावा जिला उन्नाव, पर आप अभियुक्तगण ने मिलकर वादी मुकदमा को मारापीटा व उसे गन्दी गन्दी गालियाँ देकर अपमानित किया एवं उसे मारपीट कर गंभीर चोटें कारित की। उक्त आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर है।

साक्षी पी०डब्लू०–01 राजबहादुर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मेरे पिता ब्रह्मा और अनंत प्रसाद व शिव प्रसाद के बीच लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ था। मैं अपने पिता को बचाने पहुंचा तो अभियुक्तगण ने मुझे भी मारा पीटा, जिससे मेरे शरीर में बहुत चोटे आयी। मैं अपने पिता ब्रह्मा के साथ थाना मौरावां गया था। मेरे पिता ने जुबानी सूचना देकर एन०सी०आर० दर्ज कराई थी। एन०सी०आर० दर्ज होने के बाद मेरे पिता ने हस्ताक्षर बनाये थे। मेरे पिता ब्रह्मा की मृत्यु हो चुकी है। मैं अपने पिता के दस्तखत व निशानी अंगूठा पहचानता हूं। एन०सी०आर० की प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, जिस पर मेरे पिता ब्रह्मा के निशानी अंगूठा बने हैं, जिस पर प्रदर्श क 1 डाला गया। इस मारपीट से मेरा दाहिना हाथ

टूट गया था। सरकारी अस्पताल मौरावां व जिला अस्पताल में इलाज हुआ। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।"

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि "घर के सहन को लेकर दोनों पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था। जिस समय मारपीट चल रही थी, मौके पर पहुंचा तो कहा सुनी चल रही थी। कहा सुनी में एक दूसरे को रोकने के लिये मैंने प्रयास किया तो भीड़ का धक्का लग लगा, जिससे मैं खड़ंजे पर गिर पड़ा और हाथ टूट गया था। मैं धक्का देने वाले को देख नहीं पाया। चोट लगने के कारण हम लोगों ने मुकदमा लिखा दिया। अभियुक्तगण ने मुझे मारा नहीं था।"

पुनः परीक्षण में उक्त साक्षी ने कथन किया कि "इस घटना को लेकर के इसी अदालत में मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है। दोनों मुकदमों में हम लोगों ने आपस में सुलह कर ली है। हमारे आपसी संबंध अच्छे हैं। मुकदमे की पैरवी के लिये दोनों पक्ष साथ आये हैं।"

साक्षी पी०डब्लू०–02 रामसजीवन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि "ब्रह्मा और अनन्त प्रसाद व शिव प्रसाद के बीच जिस समय लड़ाई झगड़ा चल रहा था, मैं लगातार इस प्रयास में रहा कि मारपीट न हो। कोई एक दूसरे को न मारे। दोनों पक्षों के बीच तू तू मैं मैं कहा सुनी और धक्का मुक्की हो रही थी। मारपीट में छोटा क्या ब्रम्हा और रामबहादुर को अनन्त प्रसाद व शिव प्रसाद ने मारा था। लाठी चल रही थी। मार खाने के डर से दूर खड़ा हुआ मैं नहीं देख पाया किसने किसके लाठी मारी। मुझे याद नहीं है कि घटना के बाद पुलिस ने मेरा बयान लिया कि नहीं।"

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि "जिस समय लाठी चल रही थी, मैं मौके पर नहीं था। राज बहादुर को और उसके पिता ब्रह्मा को मार खाते मैंने नहीं देखा था। भीड़ भाड़ में शोर गुल अधिक होने के कारण कौन क्या कह रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। यह सही है कि सहन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। मेरा प्रयास रहा है दोनों पक्ष सुलह कर लें।"

पुनः परीक्षण में उक्त साक्षी ने कथन किया कि "आज मैं दोनों पक्षों के साथ आया हूं। दोनों पक्षों के बीच आपसी मेल मिलाप है। इस घटना के क्रॉस केस में आपस में सुलह कर ली है। मारपीट के समय जो मैं नहीं तक पाया वो आज मैंने करा दिया।"

साक्षी पी०डब्लू०–03 गयाप्रसाद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैं कक्षा आठ तक पढ़ा हूँ। आज से लगभग पच्चीस वर्ष पहले मेरे सामने मेरे गांव के रहने वाले राजबहादुर को अनन्त प्रसाद व शिव प्रसाद ने कभी मारापीटा नहीं था और न ही गाली गलौज दिया था। राजबहादुर को कैसे चोट लगी थी, मुझे जानकारी नहीं है।"

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि "गवाह को धारा 161 सीआर०पी०सी० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाही ने कहा कि मैंने दरोगा जी को ऐसा बयान नहीं दिया था, कैसे लिख लिया, मैं नहीं बता सकता हूँ। यह कहना गलत है कि मुल्जिम से मिल जाने के कारण लालच व दबाव में आने के कारण झूठी गवाही दे रहा हूँ, लेकिन यह बात सही है कि मुल्जिमान व राजबहादुर के बीच आपस में समझौता हो चुका है।"

अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु अभियोजन द्वारा उक्त तीन साक्षियों को पत्रावली पर परीक्षित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा कोई अन्य साक्षी पत्रावली पर परीक्षित नहीं कराया गया है।

अभियोजन द्वारा पी०डब्लू० 01 के रूप में परीक्षित साक्षी राजबहादुर ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, परंतु अपनी प्रतिपरीक्षा में भिन्न कथन करते हुये कहा है कि "घर के सहन को लेकर दोनों पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था। जिस समय मारपीट चल रही थी, मौके पर पहुंचा तो कहा सुनी चल रही थी। कहा सुनी में एक दूसरे को रोकने के लिये मैंने प्रयास किया तो भीड़ का धक्का लग लगा, जिससे मैं खड़ंजे पर गिर पड़ा और हाथ टूट गया था। मैं धक्का देने वाले को देख नहीं पाया। चोट लगने के कारण हम लोगों ने मुकदमा लिखा दिया। अभियुक्तगण ने मुझे मारा नहीं था।" इसी क्रम में अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू० 02 के रूप में रामसजीवन को परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है, परंतु अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक का खण्डन करते हुये कथन किया गया है कि "जिस समय लाठी चल रही थी, मैं मौके पर नहीं था। राज बहादुर को और उसके पिता ब्रह्मा को मार खाते मैंने नहीं देखा था। भीड़ भाड़ में शोर गुल अधिक होने के कारण कौन क्या कह रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। यह सही है कि सहन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था।" इसी क्रम में अभियोजन की ओर से पी०डब्लू० 03 के रूप में परीक्षित साक्षी गया प्रसाद ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का खण्डन करते हुये कथन किया है कि "आज से लगभग पच्चीस वर्ष पहले मेरे सामने मेरे गांव के रहने वाले राजबहादुर को अनन्त प्रसाद व शिव प्रसाद ने कभी मारापीटा नहीं था और न ही गाली गलौज दिया था। राजबहादुर को कैसे चोट लगी थी, मुझे जानकारी नहीं है।"

इस प्रकार गवाहों के बयानों से अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने के तथ्य संदिग्ध साबित होते है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर अभियुक्तगण अनन्त प्रसाद तथा शिव प्रसाद के विरूद्व कोई पुख्ता साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिसके आधार पर अभियुक्तगण अनन्त प्रसाद तथा शिव प्रसाद को उक्त प्रकरण में वादी मुकदमा को मारने–पीटने, गाली–गलौज देने तथा मारपीट कर गंभीर चोटें कारित करने के तथ्य संदेह से परे साबित नहीं होते है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन द्वारा अपने अभियोजन कथानक को समस्त तथ्यों को युक्तयुक्ति संदेह से परे जाकर न्यायालय के समक्ष साबित करना चाहिये, किन्तु उक्त प्रकरण में अभियोजन ऐसा करने में पूरी तरह से असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण अनन्त प्रसाद तथा शिव प्रसाद संदेह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित समस्त विवेचना के आधार न्यायालय के मत में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण अनन्त प्रसाद तथा शिव प्रसाद के विरूद्व लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित करने मे पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त धारा 323, 325, 504 भा०दं०सं० के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है ।

आदेश

अभियुक्तगण अनन्त प्रसाद तथा शिव प्रसाद को धारा 323, 325, 504 भा०दं०सं० के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके बन्धपत्र निरस्त एवं प्रतिभूगण को उनके उत्तरदायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में दाखिल जमानतें अपील अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांकः– 07/07/2026

(हिमानी गौतम)
आई०डी० यू०पी० 4850
न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांकः– 07/07/2026

(हिमानी गौतम)
आई०डी० यू०पी० 4850
न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।